न्यायालय उपखण्ड अधिकारी इटावा जिला कोटा राज०

अज अदालत उपखण्ड अधिकारी इटावा जिला कोटा

पीठासीन अधिकारी— हेमन्त कुमार घनघोर आर०ए०एस०

मिसल संख्या	तारीख दायरा	तारीख फैसला
06/2019	08/02/2019	15/10/2025

रामरतन पुत्र ग्यारसीराम कौम धाकड निवासी बोरदा तहसील पीपल्दा जिला कोटा राज.

वादी

बनाम

राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार तहसील पीपल्दा जिला कोटा राज.

प्रतिवादी

वादी की ओर से उपस्थित अधिवक्ताः— श्री मनोज शर्मा एड०।

वाद अन्तर्गत धारा 88,89,188 आर.टी. एक्ट.

निर्णय

वादी ने वाद प्रस्तुत कर निवेदन किया कि ग्राम नीमसरा पटवार सर्किल ककरावदा तहसील पीपल्दा जिला कोटा राज. मे खाता संख्या 218 मे खसरा नम्बर 351/1 रकबा 2.80 हैक्टर नहरी प्रथम कृषि आराजी वादी के खातेदारी एवं कब्जे काश्त की है जिस पर वह अपने पूर्वजो के समय से ही काबिज काश्त है। उपरोक्त आराजी को आगे वाद पत्र मे विवादित आराजी कहा गया है। विवादग्रस्त आराजी में वादी के साथ—साथ राजस्व रिकार्ड में खाता सरकार भी दर्ज कर दिया गया जो अवैध व विधि विरूद्ध है क्योकि राजस्थान काश्तकारी अधिनियम में काश्तकार की 2 ही श्रेणी है एक तो खातेदार दूसरा गैरखातेदार वादी की खाते की विवादग्रस्त आराजी में वादी के नाम के साथ साथ खाता सरकार भी दर्ज कर दिया गया जिस कारण वादी को अपने खाते की विवादग्रस्त आराजी पर कृषि ऋण लेने में भूसुधार करने मे कृषि कनेक्शन लेने में काफी परेशानी हो रही है। खाता सरकार का खाता राजस्व रिकार्ड में नम्बर 1 होता है जिसमे समस्त सरकारी भूमियो का वर्णन होता है इसके अलावा भी जिस भी विभाग की भूमि होती है उस विभाग का खाता होता है और उसमे उस भूमि का इन्द्राज होता है जबकि काश्तकार के नाम पते वाले कॉलम में काश्तकार के नाम के अलावा कोई कोलम खाता सरकार नहीं है वादी के नाम के साथ—साथ जो खाता सरकार लिखा गया है वह अवैध तथा विधि विरूद्ध है उसको हटाया जाना वादी के लिए आवश्यक हो गया है वादी राजस्थान टीनेन्सी एक्ट, के प्रभाव मे आने के पूर्व से ही विवादित आराजी पर बतौर खातेदार के रूप में काबिज काश्त है। पटवारी हल्का ककरावदा को प्रतिवादी ने दिनांक 3.2.019 को वादी को धमकी दी कि वादी का विवादित आराजी पर से नाम हटायेगे तथा वादी को विवादग्रस्त आराजी बेदखल करेगे काश्त नहीं करेगे और विवादित आराजी को सरकार के खाते में दर्ज करेगे। प्रतिवादी को ऐसा करने का कोई कानूनी अधिकार प्राप्त नही है। वादी को यह कानूनी अधिकार प्राप्त है कि वह वादी के खाते की विवादग्रस्त आराजी में दर्ज खाता सरकार को हटावें और प्रतिवादी को वादी के कब्जे काश्त में मदाखलत व मजहामत करने से रॉके उनके विरूद्ध स्थायी निषेधाज्ञा प्राप्त करे एवं विवादित आराजी को अपने खातेदारी में दर्ज करवाने की घोषणा न्यायालय से करावे एवं खाता सरकार की ऐन्टी जो वादी के खाते के साथ दर्ज की गई उसे हटावे इस कारण वादी को माननीय न्यायालय में यह वाद प्रस्तुत करना पड़ा है। वाद कारण दिनांक 3.2.019 को वादी को उसके कब्जे काश्त व खातेदारी की विवादग्रस्त भूमि से बेदखल करने की धमकी देने तथा उसका नाम खाते से हटाने की धमकी देने के कारण उत्पन्न हुआ है। वाद प्रस्तुत कर निवेदन किया कि वादी के पक्ष में प्रतिवादी के विरूद्ध इस आशय की सादर डिकी फरमाई जावे कि वाद पत्र में वर्णित कृषि आराजी वाके ग्रान नीमसरा पटवार सर्किल ककरावदा तहसील पीपल्दा जिला कोटा राज. की खसरा नम्बर 351/1 रकबा 2.80 हैक्टर का वादी को

उपखण्ड अधिकारी
इटावा

खातेदार घोषित करते हुये है उसके नाम के साथ दर्ज खाता सरकार हटाया जावे और वादी का ही नाम दर्ज किया जावें तदनुसार राजस्व रिकार्ड मे इसका अमल दरामद किया जावे। वादी को विवादित आराजी से प्रतिवादी बेदखल नही करें न ही वादी के कब्जे काश्त में किसी प्रकार की मदाखलत व मजहामत करे ऐसा कार्य न तो स्वयं करे और न ही अपने किसी अन्य प्रतिनिधियो से करावे इस आशय की स्थायी निषेधाज्ञा वादी के पक्ष में प्रतिवादी के विरूद्ध जारी की जावे।

वादी की ओर से वाद श्री मनोज शर्मा एड0 ने पेश किया। रिपोर्ट सरिश्ता का अवलोकन किया गया। वाद दर्ज रजि0 किया जाकर प्रतिवादी की तलबी जर्ये सम्मन की गई। जवाब सरकार प्राप्त जो अग्रलिखित है। मुताबिक जमाबंदी की आराजी सम्वत 2073–2076 में ग्राम नीमसरा की आराजी ख.न.351/1 रकबा 2.80 हेक्टर भूमि खाता सरकार रामरतन पुत्र ग्यारसीराम जाति धाकड़ नि. नीमसरा के नाम दर्ज रिकार्ड है। सेटलमेंट जमाबंदी संवत 2041–60 में ग्राम नीमसरा की आराजी ख.न. 351 रकबा 3.65 हेक्टर भूमि खाता सरकार भवानीशंकर वल्द नाथूलाल 1/2, शांति लाल वल्द प्रेमशंकर हि. 1/2, नाबा. वली भवानी शंकर ब्राह्मण गुजराती सा. खातोली के नाम दर्ज रिकॉर्ड थी जिसको नामा. 107 दिंनाक 01/09/1995 से जर्ये रजि० विक्रय पत्र जिल्द स. 25 पृष्ठ 707308 दिंनाक 14/7/95 से रामरतन पुत्र ग्यारसीराम जाति धाकड़ सा. बोरदा के नाम दर्ज हुआ है उसके बाद निरंतर वर्तमान जमाबंदी संवत 2073–76 में भी आराजी ख.न.351/1 रकबा 2.80है० भूमि खाता सरकार रामरतन पुत्र ग्यारसीराम जाति धाकड़ सा. बोरदा के नाम दर्ज रिकॉर्ड है। जिसमे वादी अपने नाम के आगे लगा खाता सरकार शब्द को हटाना चाहता है जो न्यायालय के क्षेत्राधिकार में है। पत्रावली पर सलंग्न दस्तावेज जवाब सरकार कका अध्ययन मनन करने एवं वादी के विद्वान अधिवक्ता की बहस के उपरान्त पाया कि ग्राम निमसरा पटवार मण्डल ककरावदा के ख0नं0 351/1 रकबा 2.80है0 नहरी I के काश्तकार के में जमाबन्दी सम्वत 2069–72 खाता सरकार रामरतन पुत्र ग्यारसी राम हि0 पूर्ण जाति धाकर साकिन बोरदा खातेदार लिखा हुआ है। भू–प्रबंध जमाबन्दी सं0 2041–60 ग्राम नीमसरा में भी उक्त खसरा नं0 के खातेदार/गैरखातेदार कृषक के नाम के कालम में तत्समय सम्बंधित कृषक के नाम से पूर्व खाता सरकार लिखा हुआ है। जवाब सरकार के मुताबिक भी सेटलमेंट जमाबन्दी 2041–60 ग्राम नीमसरा की आराजी ख0नं0 351 रकबा 3.65 है0, खाता सरकार भवानीशंकर वल्द नाथूलाल हि0 1/2, शान्तिलाल वल्द प्रेमशंकर हि0 1/2, नाबा0 वली भवानीशंकर ब्राहम्ण गुजराती सा0 खातौली के नाम दर्ज रेकॉर्ड थी। जिसका नामान्तरण नं0 107 दिनांक 01.09.1995 से जरिए रजि0 विक्रय पत्र रामरतन पुत्र ग्यारसी राम जाति धाकड सा0 बोरदा के नाम दर्ज हुआ है। उसके बाद निरन्तर वर्तमान जमाबन्दी सं0 2073–76 के खाता सं0 239 में भी खाता सरकार रामरतन पुत्र ग्यारसी राम हि0 पूर्ण जाति धाकड सा0 बोरदा खातेदार लिखा हुआ है। वादी ने उक्त आराजी जरिए रजि0 विक्रय पत्र वैधानिक रूप से क्रय की है। जिसका नामा0 सं0 107 दिनांक 01.09.1995 को स्वीकार होकर खातेदार के रूप में काबिज है। उक्त बेचान व नामा0 से यह सिद्ध होता है कि खाता सरकार की भूमि यदि होती तो यह बेचान व नामा0 की कार्यवाही ही नहीं हो पाती। उक्त भूमि खातेदारी ही प्रतीत होती है। राजस्व रेकॉर्ड में खातेदार वाले जिम्मन में काश्तकार के कॉलम में खाता सरकार व खातेदार एक साथ लिखा जाना एक त्रुटि है जिससे वादी को भू सुधार व विद्युत कनेक्शन लेने आदि में काफी असुविधा होती है। उक्त त्रुटि को सुधारना आवश्यक है। जिससे कि वादी को हो रही असुविधा से राहत दिलाई जा सके।

अतः ग्राम नीमसरा पटवार मण्डल ककरावदा तह0 पीपल्दा के आराजी ख0नं0 351/1 रकबा 2.80है0 नहरी प्रथम के वर्तमान खाते के काश्तकार का नाम के कॉलम से खाता सरकार शब्द विलोपित किया जाकर रामरतन पुत्र ग्यारसी राम जाति धाकड सा0 बोरदा को खातेदार घोषित किया जाता है। तहसीलदार पीपल्दा को आदेशित किया जाता है कि वादी को विवादित आराजी से बेदखल नहीं करें न ही वादी के कब्जे काश्त में किसी किसी प्रकार की मदाखलत व मजहामत करे ऐसा कार्य न तो

उपखण्ड अधिकारी
इटावा

स्वयं करे और न ही अपने किसी अन्य प्रतिनिधियो से करावे इस आशय की स्थायी निषेधाज्ञा वादी के पक्ष में प्रतिवादी के विरूद्ध जारी की जाती है। तद्नुसार डिकी जारी हो।

उपखण्ड अधिकारी
इटावा जिला कोटा

उपखण्ड अधिकारी
इटावा

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी इटावा जिला कोटा राज०

अज अदालत उपखण्ड अधिकारी इटावा जिला कोटा
पीठासीन अधिकारी– हेमन्त कुमार घनघोर आर0ए0एस0

मिसल संख्या	तारीख दायरा	तारीख फैसला
06/2019	08/02/2019	15/10/2025

रामरतन पुत्र ग्यारसीराम कौम धाकड निवासी बोरदा तहसील पीपल्दा जिला कोटा राज.

वादी

बनाम

राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार तहसील पीपल्दा जिला कोटा राज.

प्रतिवादी

वादी की ओर से उपस्थित अधिवक्ताः– श्री मनोज शर्मा एड0।

वाद अर्न्तगत धारा 88,89,188 आर.टी. एक्ट.

निर्णय

यह मुकदमा आज वास्ते इनफिलाल कतई रूबरू बहाजिरी श्री मनोज शर्मा एडवोकेट मिनजानिब मुद्दई रूबरू................. मिनजानिब मुद्दालयह पेश होकर हुक्म दिया जाता है कि ग्राम नीमसरा पटवार मण्डल ककरावदा तह0 पीपल्दा के आराजी ख0नं0 351/1 रकबा 2.80है0 नहरी प्रथम के वर्तमान खाते के काश्तकार का नाम के कॉलम से खाता सरकार शब्द विलोपित किया जाकर रामरतन पुत्र ग्यारसी राम जाति धाकड सा0 बोरदा को खातेदार घोषित किया जाता है। तहसीलदार पीपल्दा को आदेशित किया जाता है कि वादी को विवादित आराजी से बेदखल नहीं करें न ही वादी के कब्जे काश्त में किसी किसी प्रकार की मदाखलत व मजहामत करे ऐसा कार्य न तो स्वयं करे और न ही अपने किसी अन्य प्रतिनिधियो से करावे इस आशय की स्थायी निषेधाज्ञा वादी के पक्ष में प्रतिवादी के विरूद्ध जारी की जाती है। तद्नुसार डिक्री जारी की जाती है। डिक्री मेरे दस्खत व मोहर से आज दिनांक 15.10.2025 को जारी किया गया। निर्णय खुले न्यायालय में लिखवाया जाकर सुनाया गया।

मिलान स्टाम्प अर्जी दावा			स्टाम्प अर्जी दावा		
मुद्दई	रूपये	पैसे	मुदायलह	रूपये	पैसे
स्टाम्प वकालतनामा			स्टाम्प अर्जी		
स्टाम्प वजूह सबूत			स्टाम्प अर्जी		
मेहनताना वकील			मेहनताना वकील		
खर्चा गवाहान			खर्चा गवाहान		
बाबत इजराय हुक्मनामा			बाबत इजराय हुक्मनामा		
मुत0			मुत0		
मिलान			मिलान		

उपखण्ड अधिकारी
इटावा जिला कोटा

उपखण्ड अधिकारी
इटावा